इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2017—वैशाख 6, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्र. 6835-85-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि..—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) अधिनियम , २०१७

[दिनांक २४ अप्रैल, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ अप्रैल, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की धारा १४ में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) द्वारा किए गए संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह १ अप्रैल, २००६ से ६ जनवरी, २०१५ तक, अर्थात् मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व की तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा १४ के संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण.

२. यह संशोधन अर्थात् मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) द्वारा किया गया मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् स्पष्टीकरण का अंत:स्थापन, १ अप्रैल, २००६ से ६ जनवरी, २०१५ तक, अर्थात् मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) के प्रकाशन की तारीख से पूर्व की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

उसके अधीन की गई कार्रवाईयों और किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण.

३. किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संशोधन अधिनियम द्वारा अंत:स्थापित, मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के द्वितीय परंतुक के पश्चात् स्पष्टीकरण के अनुसरण में की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्रवाई, समस्त प्रयोजनों के लिए, उस सारवान समय पर जब ऐसी कार्रवाई की गई थी, मानो संशोधन अधिनियम द्वारा यथा अंत:स्थापित स्पष्टीकरण प्रवृत्त था, समझी जाएगी और सदैव ही विधिमान्यत: की गई समझी जाएगी और तद्नुसार—

(क) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा अन्त:स्थापित स्पष्टीकरण के संबंध में किए गए समस्त कृत्य, कार्यवाहियां अथवा बातें, समस्त प्रयोजनों के लिये सदैव ही विधि के अनुसार विधिमान्यत: किए गए अथवा की गई समझी जाएंगी;

(ख) राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी के विरूद्ध, चाहे वह कोई भी हो, के द्वारा की गई किसी कार्रवाई के लिये किसी भी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी अथवा जारी नहीं रखी जाएंगी;

(ग) कोई न्यायालय इस प्रकार की गई कार्रवाईयों को निष्प्रभावी करने वाला कोई आदेश लागू नहीं करेगा.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्र. 6835-85-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.15 OF 2017

THE MADHYA PRADESH VAT AMENDMENT (VALIDATION) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 24th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th April, 2017].

An Act to validate the amendment made by the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2014 (No. 3 of 2015) in Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, with retrospective effect.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat Amendment (Validation) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006 to 6th January 2015, that is, the date prior to the date of publication of the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2014 (No. 3 of 2015) in the official Gazette.

Validation of amendment of Section 14 with retrospective effect.

2. The Amendment, that is, insertion of explanation after second proviso to cluase (a) of sub-section (1) of Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), made by the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2014 (No. 3 of 2015) (hereinafter referred to as the amending Act) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006 to 6th January, 2015, that is, the date prior to the date of publication of the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2014 (No. 3 of 2015),

Validation of actions taken and things done thereunder.

3. Notwithstanding anything contained in any judgement or order of any court, any action taken or purported to have been taken in pursuance of explanation after second proviso to clause (a) of sub-section (1) of Section 14 of the principal Act, inserted by the amending Act, shall, for all purposes be deemed to be and have always been validly taken as if the explanation as inserted by the amending Act was enforced at all material times when such action was taken, and accordingly.—

(a) all acts, proceedings or things done or taken in connection with the explanation as inserted by the amending Act, shall, for all purposes be deemed to be and have always been validly done or taken in accordance with law;

(b) no suit or other proceedings shall be maintained ro continued in any court against the State Government or any person or authority whatsoever for the actions taken;

(c) no court shall enforce any order annulling the actions so taken.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.